

FROM No.III

सहायक कलेक्टर (SDO) फर्द अहकाम (नियम 26)

बायतु

अज अदालत..... मुकाम.....

श्री. वे. व. ताराम बनाम ला. भुराम कौरा

किस्म मुकदमा राज फाके 111,120 REJECT नं. 182/19 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.6.19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>कुं. अमित चव्हाण</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,120 REJECT</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। सिप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>22.7.19</u> को पेश हो</p> <p><u>नोटिस 10.10.19 दिनांक 21.10</u></p> <p><u>प्राप्त</u></p> <p><u>प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थी गिणो</u></p> <p><u>के नोटिस तामिल क्रम तामिल क्रमापत।</u></p> <p><u>प्रीमिंग पीठामिन अधिकारी डिग्न कर्षी</u></p> <p><u>में पधारै डुए ही क्रतः मिबाल इलतक डोड</u></p> <p><u>क्रमापती दिनांक 16/09/19 को पेश है।</u></p>	
22/07/19	<p><u>प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थी गिणो</u></p> <p><u>के नोटिस तामिल क्रम तामिल क्रमापत।</u></p> <p><u>प्रीमिंग पीठामिन अधिकारी डिग्न कर्षी</u></p> <p><u>में पधारै डुए ही क्रतः मिबाल इलतक डोड</u></p> <p><u>क्रमापती दिनांक 21/10/19 को</u></p> <p><u>पेश है।</u></p>	
16/09/19		

21/10/19

कमाल

प्राथी वहील उपस्थित। विप्राथीगिगो के नोधि
 तामिल खुडा प्राप्त जिसे शामिल पभावली शीमा गया।
 विप्राथीगिग का वजुड तामिल अनुउपस्थित। नमालय समग्र
 तीन बार कावाज लगाई गई संमिलम कावाज 5.45
 pm पर लगाई गई विप्राथीगिग स्वयं मा इनकी कोर
 से होई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनसे
 बिरुद्ध एकरामा कार्यवाही कमल में लारी जाती है।
 प्राथी के अधिवक्ता की एउपस्थित वदम सुनी गई प्राथी के
 अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्राथी व विप्राथीगिगो
 के लेनो लेनो सेठ खेत काये हुए है प्राथी व विप्राथीगिगो के
 लेनो पर जो पुरानी साठे व ठगे काये हुए थे जो वर्तमान में
 प्राथीगो की कजह से विचर गये है। जिससे प्राथी व विप्राथी-
 गिगो के लेनो का लयी जान नहीं हो रहा है वकति ही कागक
 होने पर विप्राथीगिग प्राथी के लेनो को लोडरु प्राथी के प्यालेदारी
 खेत में खेती कर लेते है जिससे प्राथी व विप्राथीगिगो के
 बीच में तनाजा बना रहला है। इस डरव प्राथी को अपने
 प्यालेदारी खेत की पक्की नैषमबनी डरवना कावश्यक है
 इसलिए प्राथी द्वारा प्रस्तुत नैषमबनी कावेन को स्वीडार
 किया जाडर नैषमबनी कावेन किया जावे।

कतः प्राथी का नैषमबनी कावेन

स्वीडार किया जाडर तदमीलाए कायडु को डमिरान व
 सम्बन्धित भू माभिलेय निरिस्तु को लयाडु डमिरान
 नियुक्त किया जाला है व कावेन किया जाला है कि काय
 स्वयं मा सहायडु डमिरान ले प्राथी के प्यालेदारी खेतो की
 पक्की नैषमबनी मीडे पर डमिरान कुलड रूपधे-500/-
 जमाडराडर करे। पालना रियाडे प्राप्त होने पर शामिल पभावली
 है। पभावली फेमल खुमार होडर डन नम्बर ले डम ही
 वाचिल दफतर है।

(Signature)
 21.10.2019
 सहायक कलक्टर (SDO)
 कायडु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2019/

दिनांक:-

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रेंवताराम पुत्र हराराम वगैरा जाति मेघवाल
निवासी चौखोणियों का तला भीमडा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. लाभूराम पुत्र पेमाराम वगैरा जाति मेघवाल
निवासी चौखोणियों का तला भीमडा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 182/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चौखोणियों का तला पटवार हल्का भीमडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 89.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:-

कमांक/वाद/2019 910

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी भीमडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री रेंवताराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री लाभूराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:-

